पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 10 सितम्बर, 2019

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 के लिए धान क्रय नीति के निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी

कॉमन श्रेणी के धान हेतु 1815 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड–ए धान के लिए 1835 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित

इस वर्ष 50 लाख मीट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य

धान विक्रय से पूर्व कृषक पंजीयन तथा समस्त क्रय एजेन्सियों के लिए ऑनलाइन धान क्रय की प्रक्रिया अनिवार्य

प्रथम बार बटाईदार व कॉन्ट्रैक्ट फारमर्स से भी धान खरीद

मंत्रिपरिषद ने मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 के लिए धान क्रय नीति के निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 में कॉमन श्रेणी के धान हेतु 1815 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड–ए धान के लिए 1835 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।

खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 में लखनऊ सम्भाग के जनपद हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर तथा सम्भाग बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी में धान क्रय की अवधि 01 अक्टूबर, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक तथा लखनऊ सम्भाग के जनपद लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव व चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं प्रयागराज मण्डलों में 01 नवम्बर, 2019 से 29 फरवरी, 2020 तक होगी।

इस वर्ष प्रदेश के लिए 50 लाख मीट्रिक टन धान क्रय का कार्यकारी लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। यदि निर्धारित अवधि में क्रय केन्द्रों पर धान की आवक

बनी रहती है, तो किसानों के हित में निर्धारित लक्ष्य से अधिक धान क्रय किया जाएगा। धान क्रय के लिए विभिन्न क्रय एजेंसियों के 03 हजार क्रय केन्द्र खाले जाएंगे। जनपद में धान क्रय हेतु जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। मण्डल स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक नोडक अधिकारी होंगे। क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं चयन जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि कृषक को अपना धान विक्रय करने हेतु 08 किमी0 से अधिक दूरी न तय करनी पड़े। क्रय सत्र में 100 मीट्रिक टन से कम खरीद की सम्भावना वाले क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर अधिकतम 01 केन्द्र खोला जाएगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 में धान विक्रय से पूर्व कृषक पंजीयन तथा समस्त क्रय एजेन्सियों के लिए ऑनलाइन धान क्रय की प्रक्रिया अनिवार्य की गयी है। धान की उतराई, छनाई, सफाई इत्यादि के लिए खर्च के मद में कृषकों को अधिकतम 20 रुपया प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा। किसानों से धान खरीद जोतबही/खाता नम्बरद अंकित कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र यथासम्भ आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 से प्रथम बार बटाईदार व कॉन्ट्रैक्ट फारमर्स से भी धान खरीद कतिपय प्रतिबन्धों के साथ की जायेगी।

सभी क्रय एजेन्सियों द्वारा धान के मूल्य का भुगतान ऑनलाइन आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धान क्रय के 72 घण्टे के अन्दर किया जायेगा। चेक के माध्यम से भुगतान को मान्यता नहीं प्रदान की जायेगी।

यदि चावल मिलर को दिये गये धान के सापेक्ष 45 दिनों के अन्दर मिलर द्वारा केन्द्रीय पूल में चावल सम्प्रदान कर देता है तो उसे प्रोत्साहन राशि की दर अरवा चावल तथा सेला चावल के लिये 20 रुपया प्रति क्विंटल मिलिंग किये गये धान पर देय होगा। 45 दिन में चावल का सम्प्रदान न होने पर 01 रुपया प्रति क्विंटल प्रतिदिन की दर से होल्डिंग प्रभार देय होगा।

————————

'उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति–2019' के प्रख्यापन को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने 'उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति–2019' के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रस्तावित नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी। यह नीति तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक की इसके स्थान पर किसी नयी नीति का प्रख्यापन नहीं किया जाता है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में कृषि निर्यात को दोगुना करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति प्रतिपादित की गई है, जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक राज्य द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये अपनी कृषि निर्यात नीति प्रतिपादित की जायेगी। राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से 'उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019' बनाई गई है।

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करने एवं उसके प्रबन्धन से सम्बन्धित बाधाओं को दूर करने के लिए संस्थागत कार्य प्रणाली बनाना, निर्यात योग्य उत्पादों और वैश्विक अवसरों से सम्बन्धित जानकारी को किसानों तक पहुंचाने के लिये ढांचा विकसित करना पर्यावरण को रक्षित करने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम करना और अप्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात से मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों की ओर गमन के साथ ही, प्रदेश से कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक 2,524 मिलियन यू0एस0 डॉलर अर्थात 17,591 करोड़ रुपये के वर्तमान मूल्य से दोगुना करना है।

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात से किसानों की आय बढ़ेगी तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। इसके तहत अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। रोग मुक्त क्षेत्रों को विकसित किया जायेगा। ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए लम्बी दूरी के समुद्री प्रोटोकाल को बढ़ावा दिया जायेगा। नवोन्मेष और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्था बनायी जायेगी। राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के अवसरों से जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

इस नीति के अन्तर्गत ज्यादा निवेश के लिए व्यवसाय को आकर्षित किया जायेगा और राज्य के ब्राण्ड का प्रचार करने पर जोर दिया जायेगा। जिले या जिलों के समूहों में क्षेत्रों के क्लस्टर बनाते हुये क्लस्टर पद्धति के माध्यम से राज्य कृषि निर्यात को बढ़ाया जायेगा। राष्ट्रीय और राज्य स्तर की संस्थाओं के सहयोग से अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित किया जायेगा। नीति के माध्यम से कृषि निर्यात की वृद्धि से रोजगार का सृजन होगा तथा इसका प्रत्यक्ष लाभ किसानों को प्राप्त होगा।

————————

गुड़/खाण्डसारी इकाइयों हेतु चीनी वर्ष 2019–2020 से 2021–2022 तक के लिए समाधान योजना को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने गुड़/खाण्डसारी इकाइयों हेतु उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम–1964 की धारा–17 के खण्ड(3) द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत चीनी वर्ष 2019–2020 से 2021–2022 तक के लिए समाधान योजना लागू किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। चीनी वर्ष 2018–19 की समाधानित धनराशि पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि करते हुए चीनी वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक के लिए गुड़/खाण्डसारी क्रशर इकाइयों हेतु मण्डी शुल्क समाधान योजना लागू की जा रही है।

इस योजना के लागू किए जाने के परिणामस्वरूप खाण्डसारी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त होगा एवं मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम–1964 की धारा–17(3)(ख) के प्राविधानों के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि उत्पाद के क्रय–विक्रय पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस वसूल किया जाता है। खाण्डसारी उद्योग को बढ़ावा देने एवं मण्डी शुल्क की प्रभावी वसूली के उद्देश्य से वर्ष 1995–96 में गुड़/खाण्डसारी की क्रशर इकाइयों हेतु मण्डी शुल्क समाधान योजना लागू की गई थी, जिसका समय–समय पर विस्तार होता रहा। अन्तिम बार अधिसूचना संख्या–2221/80–1–2018–600(20)/94 दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 द्वारा यह योजना चीनी वर्ष 2018–19 के लिए लागू की गई थी।

————————————

उ0प्र0 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना–2014 यथा संशोधित–2016 में भीड़ द्वारा कारित हिंसा/हत्या पीड़ित को क्षतिपूर्ति एवं अन्तरिम राहत की धनराशि प्रदान किए जाने को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना–2014 यथा संशोधित–2016 में भीड़ द्वारा कारित हिंसा/हत्या पीड़ित को क्षतिपूर्ति एवं अन्तरिम राहत की धनराशि प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

सी0आर0सी0पी0 की धारा–357ए के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों के पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश क्षतिपूर्ति योजना–2014 यथा संशोधित–2016 प्रभावी है। इसके अन्तर्गत विभिन्न अपराधों पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक प्राधिकरण के माध्यम से क्षतिपूर्ति की धनराशि प्रदान किया जाता है। रिट याचिका संख्या–754/2016 तहसीन एस0 पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 17 जुलाई, 2018 में भीड़ द्वारा कारित हिंसा/हत्या के पीड़ित को क्षतिपूर्ति एवं अन्तरिम राहत प्रदान किए जाने के आदेश दिए गये हैं।

उत्तर प्रदेश क्षतिपूर्ति योजना–2014 यथा संशोधित–2016 के अन्तर्गत विभिन्न अपराध पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्राविधान है, परन्तु अन्तरिम राहत/अन्तरिम सहायता प्रदान किए जाने का कोई प्राविधान नहीं था। उत्तर प्रदेश क्षतिपूर्ति योजना–2014 यथा संशोधित–2016 में संशोधन कर भीड़ द्वारा कारित हिंसा/हत्या के पीड़ित को अन्तरिम राहत प्रदान किए जाने के लिए प्राविधान जोड़ा गया है।

————————

उ0प्र0 आबकारी (मदिरा एवं पावर अल्कोहल संचलन) नियमावली, 2019 के प्रख्यापन को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश आबकारी (मदिरा एवं पावर अल्कोहल संचलन) नियमावली, 2019 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान कर दी है। शराब की तस्करी रोकने के लिये शराब के परिवहन हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं ई0बी0पी0 योजना (एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम) हेतु भारत सरकार द्वारा की गई अपेक्षा के अनुरूप एथनॉल के आवागमन में सुगमता लाने के दृष्टिगत वर्तमान में प्रचलित उत्तर प्रदेश आबकारी (मदिरा अभिवहन) नियमावली 2003 को निर्सित करते हुये उत्तर प्रदेश आबकारी (मदिरा एवं पावर अल्कोहल संचलन) नियमावली, 2019 प्रख्यापित की जा रही है।

इस नियमावली में मदिरा के अवैध पारेषणों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु ई–ट्रांजिट परमिट, वाहनों की निगरानी हेतु जी0पी0एस0, आर0एफ0आई0डी0, फास्ट टैग की प्रणाली, प्रादेशिक सीमा के भीतर ई–ट्रांजिट परमिट की वैधता अवधि का निर्धारण एवं ई–ट्रांजिट परमिट का दुष्प्रयोग करने पर दण्ड के प्राविधानों का समावेश किया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा की जा रही अपेक्षा के क्रम में पावर अल्कोहल/एथनॉल के आवागमन हेतु परमिट प्रणाली के स्थान पर 'पावर अल्कोहल मूवमेन्ट रिपोर्ट' को ऑनलाइन किये जाने का प्राविधान किया जा रहा है। इससे पावर अल्कोहल/एथनॉल के आवागमन में सुगमता लाने के साथ–साथ एथनॉल की आपूर्ति का पेय मदिरा के रूप में दुरुपयोग रोकने की दृष्टि से एथनॉल के आवागमन की सतत निगरानी भी रखी जा सकेगी।

मदिरा एवं पावर अल्कोहल की सम्पूर्ण मात्रा एक बार में ही पारेषित की जाएगी और उसे खोला नहीं जाएगा तथा निर्धारित रूट से इतर नहीं ले जाया जाएगा। इसके उल्लंघन पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। इस नियमावली के लागू होने से अन्य राज्यों से प्रदेश में होने वाली मदिरा की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। इससे राज्य में अवैध मदिरा की बिक्री पर अंकुश लगेगा। राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही, पेट्रोलियम कम्पनियों को एथनॉल की सुगमता पूर्वक आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी।

————————

राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के आगामी सत्र का आह्वान

मंत्रिपरिषद ने राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों का तृतीय सत्र (मंगलवार) दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को आहूत करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों का विगत सत्र दिनांक 18 जुलाई, 2019 आहूत किया गया था। इस सत्र में विधान सभा एवं विधान परिषद की अंतिम बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2019 को हुई थी, तत्पश्चात् दोनों ही सदनों का सत्रावसान भी दिनांक 05 सितम्बर, 2019 से कर दिया गया था।

संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) में यह भी व्यवस्था है कि विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 06 माह से अधिक का अन्तर नहीं होगा। चूंकि विगत सत्र में विधान सभा की अंतिम बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2019 को हुई थी, अतः उक्त संवैधानिक व्यवस्था के क्रम में विधान मण्डल का आगामी सत्र दिनांक 26 जनवरी, 2020 से पूर्व आहूत किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2019 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 150वां जयन्ती वर्ष होने के उपलक्ष्य में राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र में उनके विचारों एवं नीतियों तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा प्रारम्भ किए गये गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वच्छ पेय जल सतत् विकास के 17 लक्ष्यों को पूर्ण किए जाने की दिशा में राज्य सरकार की भूमिका, प्रगति तथा भावी रणनीति पर विस्तृत विचार–विमर्श की आवश्यकता है। अतः इस हेतु विधान मण्डल का सत्र आहूत कर दोनों सदनों में 48 घण्टे की अनवरत चर्चा करायी जाएगी। राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र में विगत सत्र के सत्रावसान के पश्चात शासन के महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित किए जाने किए हेतु प्रख्यापित अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयकों को पारित कराया जाना भी वांछनीय होगा।

———————————

जनपद औरैया के दिबियापुर में बस स्टेशन निर्माण हेतु चिन्हित भूमि को परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क पुनर्ग्रहण किए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने जनपद औरैया के दिबियापुर में बस स्टेशन निर्माण कराये जाने के लिये दिबियापुर फफूंद मार्ग पर ग्राम जमुॅहा में भूमि गाटा संख्या–208 कुल क्षेत्रफल 2.347 क्षे0 श्रेणी–05 (03) बंजर में दर्ज भूमि को परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क पुनर्ग्रहण किए जाने का निर्णय लिया है। भूमि के पुनर्ग्रहण सम्बन्धी आदेश यथा समय राजस्व विभाग द्वारा निर्गत किए जाएंगे। परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति एवं यात्रियों को इस बस स्टेशन के निर्माण से होने वाली सुविधा एवं व्यापक जनहित के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के फलस्वरूप बस स्टेशन का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराया जा सकेगा।

————————————

फिल्म 'सुपर 30' को राज्य माल और सेवा कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने शासनादेश संख्या–612/11–6–2017–एम(43)/17 दिनांक 09 अगस्त, 2017 में निहित व्यवस्थानुसार फिल्म 'सुपर 30' को दर्शकों द्वारा प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

———————

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली–1993 में तृतीय संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली–1993 में तृतीय संशोधन के तहत नियम 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 17, 20, 23, 24 व 25 में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अनुसार प्राविधिक सहायकों की शैक्षिक योग्यता बी0एस0सी0 कृषि के स्थान पर कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग के दिनांक 12 जून, 2018 के दृष्टिगत बी0एस0सी0 कृषि उपाधि के समकक्ष (1) बी0एस0सी0 (ऑनर्स) कृषि, (2) बी0एस0सी0 उद्यान/बी0एस0सी0 (ऑनर्स) उद्यान, (3) बी0एस0सी0 फॉरेस्ट्री/बी0एस0सी0 (ऑनर्स) फॉरेस्ट्री, (4) बी0टेक (कृषि अभियंत्रण), (5) कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान)/कम्युनिटी साइंस में चार वर्षीय उपाधियों को सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

पूर्व में, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली–1993 में द्वितीय संशोधन–2011 के द्वारा प्राविधिक सहायक ग्रुप–सी (वर्ग–3) के पदों की सीधी भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग उ0प्र0 द्वारा किए जाने हेतु प्राविधान किया गया था। जिसे अब वर्ग–3 के वेतनमान के आधार पर इस संवर्ग की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए (वर्ग–1) के सम्बन्ध में नियमावली–1993 के नियम–3 (ख) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से भर्ती किये जाने का प्राविधान था, जिसे अब वेतनमान के आधार पर नियमावली–1993 के नियम–15 के बाद नियम–15(ए) प्रतिस्थापित कर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है।

———————————

नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के मध्य पड़ने वाली सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि को नागरिक उड्डयन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के मध्य पड़ने वाली सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि को नागरिक उड्डयन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने परियोजना के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा आवश्यकतानुसार निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है।

निर्णय के अनुसार नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के मध्य पड़ने वाली सार्वजनिक उपयोगिता के प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि के पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्तावित 59.7912 हेक्टेयर भूमि को लगभग इतनी ही अनारक्षित श्रेणी की भूमि से विनिमय किया जाएगा एवं नागरिक उड्डयन विभाग के नाम निःशुल्क और समस्त भार मुक्त रूप में हस्तान्तरित किया जाएगा। साथ ही, 59.7912 हेक्टेयर भूमि को विनिमय के आधार पर प्राप्त करने हेतु श्रेणी परिवर्तन शुल्क, पुनर्ग्रहण मूल्य तथा वार्षिक किराये से छूट दी जाएगी। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

सार्वजनिक भूमि–मिल्कियत सरकार (श्रेणी–15) की 21.36 हेक्टेयर भूमि के अन्तर्गत अनारक्षित/सामान्य श्रेणी की भूमि को नागरिक उड्डयन विभाग को निःशुल्क तथा समस्त व्यय–भार मुक्त रूप से हस्तान्तरण कर उपलब्ध कराए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा इसके लिए भी अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

————————————

उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की 23 चीनी मिलों को पेराई सत्र 2019–20 के लिए 3221.63 करोड़ रुपए की शासकीय गारण्टी प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की 23 चीनी मिलों को पेराई सत्र 2019–20 के लिए उ0प्र0 सहकारी बैंक लि0/जिला सहकारी बैंकों द्वारा दी जाने वाली कार्यशील पूंजी ऋण अंकन 3221.63 करोड़ रुपए (तीन हजार दो सौ इक्कीस करोड़ तिरसठ लाख मात्र रुपए) की शासकीय गारण्टी प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह शासकीय गारण्टी प्रतिवर्ष प्रदान की जाती रही है।

विगत पेराई सत्र 2018–19 में 2703.92 करोड़ रुपए की नकद साख–सीमा के विरुद्ध शासकीय गारण्टी दी गई थी एवं इस शासकीय गारण्टी पर देय गारण्टी शुल्क को माफ किया गया था। पेराई सत्र 2019–20 के लिए उ0प्र0 सहकारी बैंक लि0/जिला सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण अंकन 3221.63 करोड़ रुपए (तीन हजार दो सौ इक्कीस करोड़ तिरसठ लाख मात्र रुपए) की शासकीय गारण्टी प्रदान की गई है। इस शासकीय गारण्टी पर देय गारण्टी शुल्क का भुगतान उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0/सहकारी चीनी मिलों द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

————————————